



(राजस्थान सरकार)

यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला कोटपूतली-बहरोड

पीठासीन अधिका : कल्पना अग्रवाल (I.A.S)

इंतकाल अपील : 09/2024

ताख रजू : 21.03.2024

निर्णय दिनांक : 11.02.2025

उनवान

1. लालाराम उम्र 60 साल पुत्र हीरालाल, जाति-अहीर निवासी-इन्लानी बहरोड तहसील-बहरोड,
जिला-कोटपूतली-बहरोड राज - अपीलान्त

बनाम

1. सुजान पुत्र रामजस, जाति-अहीर निवासी-मौहल्ला बाढडी बहरोड तहसील-बहरोड,
जिला-कोटपूतली-बहरोड राज.
2. महावीर पुत्र रामजस, जाति-अ.हीर निवासी मौहल्ला बाढडी, बहरोड तहसील-बहरोड,
जिला-कोटपूतली-बहरोड राज
3. जयपाल पुत्र रामनिवास, जाति-अहीर निवासी मौहल्ला बाढडी, बहरोड तहसील-बहरोड,
जिला-कोटपूतली-बहरोड राज.
4. प्रीतम पुत्र रामनिवास जाति-अहीर निवासी मौहल्ला बाढडी, बहरोड तहसील-बहरोड,
जिला-कोटपूतली-बहरोड राज.
5. प्रेमलता पत्नी रामनिवास जाति-अहीर निवासी मौहल्ला बाढडी, बहरोड तहसील-बहरोड,
जिला-कोटपूतली-बहरोड राज.
6. लक्ष्मीनारायण पुत्र रामसिंह जाति-अहीर निवासी मौहल्ला बाढडी, बहरोड तहसील-बहरोड,
जिला-कोटपूतली-बहरोड राज.
7. यादराम पुत्र गमाल जाति-अहीर निवासी मौहल्ला बाढडी, बहरोड तहसील बहरोड,
जिला-कोटपूतली-बहरोड राज
8. गजराज पुत्र जगमाल जाति-अहीर निवासी-मौहल्ला बाढडी, बहरोड तहसील-बहरोड,
जिला-कोटपूतली-बहरोड राज.
9. कृष्णा पुत्री जगमाल जाति-अहीर निवासी मौहल्ला बाढडी, बहरोड तहसील-बहरोड,
जिला-कोटपूतली-बहरोड राज.
10. ओमवती पुत्री जगमाल जाति-अहीर निवासी-मौहल्ला बाढडी, बहरोड तहसील-बहरोड,
जिला-कोटपूतली-बहरोड राज.
11. बिल्ला पुत्री जगमाल जाति-अहीर निवासी मौहल्ला बाढडी, बहरोड तहसील-बहरोड,
जिला-कोटपूतली-बहरोड राज.
12. इन्द्रा पुत्री जगमाल जाति-अहीर निवासी-मौहल्ला बाढडी. बहरोड तहसील-बहरोड,
जिला-कोटपूतली-बहरोड राज.
13. राजपाल पुत्र बाबूलाल जाति-अहीर निवासी-मौहल्ला बाढडी, बहरोड तहसील-बहरोड,
जिला-कोटपूतली-बहरोड राज.
14. बाला पुत्री बाबूलाल जाति-अहीर निवासी-मौहल्ला बाढडी, बहरोड तहसील-बहरोड,
जिला-कोटपूतली-बहरोड राज.
15. रमेश देवी पत्नी बाबूलाल जाति-अहीर निवासी-मौहल्ला बाढडी, बहरोड तहसील-बहरोड,
जिला-कोटपूतली-बहरोड राज.
16. प्रीतम पुत्र सम्पतराम जाति-अहीर निवासी मौहल्ला बाढडी, बहरोड तहसील-बहरोड,
जिला-कोटपूतली-बहरोड राज.
17. संजु पुत्री सम्पतराम जाति-अहीर निवासी मौहल्ला बाढडी, बहरोड तहसील-बहरोड,
जिला-कोटपूतली-बहरोड राज.



जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड

42. धर्मेन्द्र पुत्र शेरसिंह जाति-अहीर निवासी-मौहल्ला बाढडी, बहरोड तहसील-बहरोड, जिला-कोटपूतली-बहरोड राज.
43. संजय पुत्र शेरसिंह जाति-अहीर निवासी-मौहल्ला बाढडी बहरोड तहसील-बहरोड जिला-कोटपूतली-बहरोड राज.
44. शांति देवी स्त्री शेरसिंह जाति-अहीर निवासी-मौहल्ला बाढडी, बहरोड तहसील-बहरोड, जिला-कोटपूतली-बहरोड राज.
45. सुरेश पुत्री शेरसिंह जाति-अहीर निवासी मौहल्ला बाढडी, बहरोड तहसील-बहरोड, जिला-कोटपूतली-बहरोड राज.
46. मंजु पुत्री शेरसिंह जाति-अहीर निवासी-मौहल्ला बाढडी, बहरोड तहसील-बहरोड, जिला-कोटपूतली-बहरोड राज.
47. धर पुत्र भूरा जाति-अहीर निवासी मौहल्ला बाढडी, बहरोड तहसील-बहरोड, जिला-कोटपूतली-बहरोड राज.
48. सुभाष पुत्र भूरा जाति-अहीर निवासी-मौहल्ला बाढडी, बहरोड तहसील-बहरोड, जिला-कोटपूतली-बहरोड राज.
49. बलवन्त सिंह पुत्र भूरा जाति-अहीर निवासी-मौहल्ला बाढडी, बहरोड तहसील-बहरोड, जिला-कोटपूतली-बहरोड राज.
50. सुबेसिंह पुत्र रामजीलाल जाति-अहीर निवासी मौहल्ला बाढडी, बहरोड तहसील-बहरोड, जिला-कोटपूतली-बहरोड राज.
51. कलावती पुत्री रामजीलाल, जाति-अहीर निवासी-मौहल्ला बाढडी, बहरोड तहसील - बहरोड, जिला-कोटपूतली-बहरोड राज.
52. नर्बदा पुत्री रामजीलाल, जाति-अहीर निवासी मौहल्ला बाढडी, बहरोड तहसील-बहरोड, जिला-कोटपूतली-बहरोड राज.
53. प्रकाश देवी पत्नी जयसिंह जाति-अहीर निवासी-मौहल्ला बाढडी, बहरोड तहसील-बहरोड, जिला-कोटपूतली-बहरोड राज.
54. गुलशन पुत्र जयसिंह जाति-अहीर निवासी मौहल्ला बाढडी, बहरोड तहसील-बहरोड, जिला-कोटपूतली-बहरोड राज.
55. जयपाल पुत्र बाबूलाल जाति-अहीर निवासी मौहल्ला बाढडी, बहरोड तहसील-बहरोड, जिला-कोटपूतली-बहरोड राज.
56. वेदप्रकाश पुत्र बाबूलाल जाति-अहीर निवासी-मौहल्ला बाढडी, बहरोड तहसील-बहरोड, जिला-कोटपूतली-बहरोड राज.
57. कर्मवीर पुत्र कबूल जाति-अहीर निवासी-मौहल्ला बाढडी, बहरोड तहसील-बहरोड जिला-कोटपूतली-बहरोड राज.
58. बस्तीराम पुत्र मोहरसिंह जाति-अहीर निवासी-मौहल्ला बाढडी, बहरोड तहसील-बहरोड, जिला-कोटपूतली-बहरोड राज
59. शीशराम पुत्र मोहरसिंह जाति-अहीर निवासी-मौहल्ला बाढडी. बहरोड तहसील-बहरोड, जिला-कोटपूतली-बहरोड राज.
60. रजनी बेवा राजेन्द्र जाति-अहीर निवासी-मौहल्ला बाढडी बहरोड तहसील-बहरोड, जिला-कोटपूतली-बहरोड राज.
61. हिमांशु पुत्र राजेन्द्र जाति-अहीर निवासी-मौहल्ला बाढडी बहरोड तहसील-बहरोड, जिला-कोटपूतली-बहरोड राज.
62. रमन पुत्र राजेन्द्र जाति-अहीर निवासी-मौहल्ला बाढडी, बहरोड तहसील-बहरोड, जिला-कोटपूतली-बहरोड राज.
63. तहसीलदार, बहरोड तहसील बहरोड जिला-कोटपूतली-बहरोड राज.
64. उप पंजीयक बहरोड तहसील बहरोड जिला कोटपूतली-बहरोड राज.

रैस्पोंडेंट्स

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 09.09.2024 तहसीलदार बहरोड बाबत नामान्तरण संख्या 1084 वाके ग्राम बहरोड तरफ बलराम तहसील बहरोड बमुराद मंजू अपील व निरस्त किये जाने नामान्तरण आदेश दिनांक 09.09.2024.



जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड

उपस्थित : विनोद कुमार यादव योग्य अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।
वकील रैस्पोडेन्ट अनुपस्थित।

॥ निर्णय ॥

अपीलान्त ने यह अपील तहसीलदार बहरोड द्वारा इंतकाल संख्या 1084 दिनांक 09.02.2024 को पारित आदेश से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई। रैस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8, 16, 18 से 20, 24 से 25, 31 से 37, 39 से 51, 53 से 56, 58 से 62 की ओर से जितेन्द्र कुमार शर्मा वकील ने वकालातनामा पेश किया। बहस वकील अपीलान्त सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्त ने अपनी बहस में सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में उल्लेखित तथ्य को जाहिर करते हुए अपील को अन्दर मियाद मानी जाने हेतु निवेदन किया। जिस पर बहस वकील अपीलान्त की बहस सुनी गई। अपील के साथ पेश दफा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद मानी जाकर अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली के सुक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार है :- आराजी खसरा नम्बर हाल 437, 438, 439, 440 बहरोड तरफ बलराम में स्थित हैं। जिस आराजी में 1/6 हिस्सा अपीलांत लालाराम पुत्र हीरालाल जाति अहीर निवासी बहरोड का दर्ज है जैसा कि सवत् 2067-2069 में अंकित हैं। उक्त आराजी अपीलांत को जर्रे वसीयत के उसकी बुआ बसन्ती से मिली थी, जिसका इंतकाल वसीयत की जाँच के बाद तहसीलदार बहरोड द्वारा 1/6 हिस्से का लालाराम के पक्ष में व 1/6 हिस्से का देवकीनंदन के पक्ष में स्वीकृत किया था, उक्त इंतकाल के आधार पर विधिक प्रक्रिया के मुताबिक उक्त आराजी मिन अपीलांत को मिली थी तब से मिन अपीलांत अपने हिस्से की आराजी पर काबिल रहकर शांतिपूर्ण तर्क से उपयोग उपभोग कर रहा है व उक्त आराजी को यूनियन बैंक बहरोड से के.सी.सी कार्ड बनवाया हुआ है। रैस्पोडेन्ट सं 1 लगायत 62 ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके आधार पर उपजिलाधीश महोदय, बहरोड द्वारा बिना मिन अपीलांत को बिना सूचना व तामिल करवाये गलत तर्क से एक अहकाम तहसीलदार बहरोड को जा किया। तहसीलदार बहरोड ने उक्त अहकाम को पटवा हलका के पास भेज दिया, पटवा हलका ने यह कहते हुए कि उक्त आराजी में लालाराम पुत्र हीरालाल का जो 1/6 हिस्सा जमाबंदी में दर्ज है उस पर लालाराम ने बैंक ने रहन रखकर लोन लिया हुआ है इसलिए इंतकाल नहीं खोला जा सकता उक्त आपत्ति के बावजूद भी उपजिलाधीश, बहरोड ने बिना मिन अपीलांत को नोटिस जा किये व बिना बैंक को पक्षकार बनाये दिनांक 29.01.2024 को यह आदेश जा कर दिया कि मदनू ने बैंक में जानबुझकर उक्त आराजी को रहन रखा है इसलिए बैंक उक्त आराजी पर से लालाराम की दूस आराजी पर ऋण की राशि को शिफ्ट करे व उक्त आराजी को रहन से मुक्त करे, उक्त प्रार्थना पत्र पर भी बैंक से कोई जवाब नहीं लिया गया व अहकाम जा कर दिया जिस अहकाम के आधार पर तहसीलदार बहरोड ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं, बिना अपीलांत को सुनवाई का अवसर दिये गलत तर्क से नामांतरण दर्ज कर दिया। जमाबंदी सवत् 2064-2067 में बसन्ती पुत्री चेताराम का जो 1/3 हिस्सा आराजी मुतनाजा में दर्ज है उसमें से 1/2 हिस्सा देवकीनंदन पुत्र चेताराम को व 1/2 हिस्सा लालाराम पुत्र हीरालाल को मिला है जैसा कि जमाबंदीयात सवत् 2076-2079 में अंकित हैं। लालाराम को बसन्ती की जायदाद में से जो 1/2 हिस्सा प्राप्त हुआ है वह तहसीलदार के निर्णय दिनांक 26.10.2015 के आधार पर जो इंतकाल दर्ज हुआ उससे प्राप्त हुई है, इसलिए 2006 के निर्णय के आधार पर तहसीलदार बहरोड के निर्णय दिनांक 26.10.2015 को निरस्त नहीं किया जा सकता व उक्त निर्णय के आधार पर दर्ज इंतकाल को निरस्त नहीं किया जा सकता। 12 साल तक अगर किसी डिकी की इजराय पेश नहीं जाती है या पालना नहीं करवाई जाती है तो वह डिकी व आदेश स्वतः ही बेकार हो जाता है, लेकिन उक्त प्रकरण में इजराय का प्रार्थना पत्र 11.08.2023 को लगाया गया है, जिस प्रार्थना पत्र में कोई पक्षकार अंकित नहीं है, उक्त प्रार्थना पत्र में प्रोपर प्रार्थी के नाम अंकित नहीं है इसी के आधार पर उपजिलाधीश, बहरोड द्वारा पुरानी इजराय को रिकॉर्ड रूम से मँगवाकर वर्ष 2024 में अहकाम जा कर इंतकाल संख्या 1048 दर्ज करने के आदेश दिये हैं व तहसीलदार बहरोड ने भी बिना जाँच किये व बिना मिलान किये अहकाम के आधार पर पटवा हलका द्वारा जो इंतकाल दर्ज किया गया उसे जासूदीक व स्वीकृत किया है जबकि कानूनन बिना रिकॉर्ड से मिलान किये व बिना कब्जे की जाँच किये इस प्रकार से तहसीलदार बहरोड को इंतकाल दर्ज करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था इसलिए



जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड

भी उक्त इंतकाल निरस्त किये जाने योग्य हैं, निरस्त किया जावे। अपीलांट का नाम लालाराम हैं लेकिन इजराय प्रार्थना पत्र में अपीलांट का नाम केवल लाला लिखा गया हैं व लालाराम का प्रोपर पता भी अंकित नहीं किया गया हैं जबकि बहरोड बहुत बड़ा कस्बा हैं जिसमें बिना वार्ड नम्बर व बिना मौहल्ला लिखें सूचना होना मुश्किल हैं। अतः मान् के समक्ष अपील पेश कर निवेदन हैं कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निवेदन हैं कि तहसीलदार साहब, बहरोड द्वारा इंतकाल नम्बर 1084 दिनांक 08.02.2024 को आराजी खसरा नम्बर 437 438, 439, 440 वाके ग्राम बहरोड तरफ बलराम को निरस्त किया जावे।

वकील रैस्पोजेन्ट को पैरवी हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण बहस नहीं सुनी गई।

वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व तहत रिकार्ड का अवलोकन किया, कानून की मंशा देखी गई। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रश्नागत नामांतकरण उपखण्ड अधिकारी बहरोड के न्यायालय से पारित आदेश की पालना में दर्ज किया गया है। अपीलान्ट के द्वारा जिस इजराय आदेश की पालना में नामांतकरण खोला गया है, उस न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील सक्षम न्यायालय में चाराजाही करनी चाहिए थी, प्रश्नागत प्रकरण में तहत के द्वारा विधिवत न्यायालय आदेश की पालना में दर्ज नामांतकरण के विरुद्ध अपील स्वीकार योग्य नहीं बनती है। इस तरह तहसीलदार बहरोड के द्वारा दर्ज नामांतकरण में कोई त्रुटि साबित नहीं होती है, इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट की सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय पत्रावली में संलग्न किया जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(कल्पना अग्रवाल)
I.A.S
जिला न्यायालय
कोटपूतली बहरोड